

फोन :07324-273226

क्रमांक 213/B4C/ 429
कार्यालय छावनी परिषद्, महु
दिनांक 27.06.2016

छावनी परिषद् कार्यालय के विक्रमादित्य साभागृह महु में दिनांक 29.06.2016 को प्रातः 11:30 बजे आयोजित होने वाली विशेष बैठक की कार्यसूची :-

1 .	ब्रिगेडियर आर.एस.शेखावत, एस.एम, वी.एस.एम	अध्यक्ष
2 .	श्रीमति रचना विजयवर्गीय	उपाध्यक्ष
3 .	श्री राजेन्द्र राजाराम पंवार	सचिव सदस्य
4 .	ब्रिगेडियर एस. वैशम्पायन (SEMO)	सदस्य
5 .	कर्नल आर.के.बाटली	सदस्य
6 .	कर्नल ए.एस.इंग्लेश्वर	सदस्य
7 .	कर्नल आलोक शर्मा	सदस्य
8 .	श्री विमल कुमार तिवारी (GE)	सदस्य
9 .	श्रीमति लक्ष्मीकांता सोढानी	सदस्य
10 .	श्री जितेन्द्र शर्मा	सदस्य
11 .	श्री राजेश(बंटी) खण्डेलवाल	सदस्य
12 .	श्री मुजीब कुरैशी	सदस्य
13 .	श्रीमति अरुणा कैलाशदत्त पाण्डे	सदस्य
14 .	श्री अशोक	सदस्य
15 .	श्री कैलाशदत्त पाण्डे	सदस्य

कार्यसूची

माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत याचिका (जनहीत याचिका)/4104/2016 श्री योगेश यादव एवं अन्य विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा महानिदेशक, रक्षा संपदा एवं अन्य 09 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में समस्त निर्वाचित सदस्यों तथा छावनी परिषद् को भी मुख्य अधिशासी अधिकारी के माध्यम से पक्ष बनाया गया है।

प्रस्तुत याचिका माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 204/2015, भारत सरकार विरुद्ध श्री गोपालदास काबरा एवं याचिका क्रमांक 288/2015 श्री कमल किशोर धूत विरुद्ध श्री गोपालदास काबरा एवं अन्य की याचिकाओं में दिये गये आदेश के आधार पर प्रस्तुत की गई है।

उक्त याचिका में निम्नांकित सहायता याचिकार्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय से चाही गई है:-

1. गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 09 (अ) दिनांक 03.11.2014 छावनी निर्वाचन नियम 2007 के नियम 62 का उल्लंघन होकर नियम विरुद्ध है।
2. छावनी परिषद् संकल्प क्रमांक 01 दिनांक 13.11.2014 को गैर कानूनी घोषित किया जाये।
3. वार्ड क्रमांक 01 से वार्ड क्रमांक 08 तक के निर्वाचन नियमावली छावनी अधिनियम 2006 की धारा 259 एवं छावनी निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 10 (3) का उल्लंघन होने से अवैधानिक घोषित की जाये।
4. दिनांक 11.01.2015 को कराया गया निर्वाचन निरस्त किया जाये और प्रत्यार्थी क्रमांक 05,06,08 एवं 10 की सदस्यता को रद्द किया जायें।
5. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने से 11.01.2015 को हुए निर्वाचन को रद्द किया जाये।

अंतरिम सहायता

उपरोक्त के अतिरिक्त याचिका कर्ताओं द्वारा निम्नांकित अंतिम सहायता माननीय उच्च न्यायालय से चाही गई :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी निर्वाचित सदस्य उचितरिति से योग्यता प्राप्त नहीं है और जो परिषद् द्वारा कार्यवाही की जा रही है गैर कानूनी है तथा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 61 के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया जा सकता है।

और गैर कानूनी कार्य जो बगैर अधिकारिता के हैं वो करने की इजाज़त न दी जाये।

उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर समस्त निर्वाचित सदस्यों को छावनी परिषद् के बैठकों एवं समितियों की बैठकों में भाग लेने से रोका जावे।

(उपरोक्त उल्लेखित सहायता व अंतरिम सहायता याचिका में उल्लेखित विवरण से आपकी जानकारी के लिये निकटतम अनुवादित की गई है। समस्त तथ्य व सहायता याचिका में उल्लेख अनुसार रहेगी।)

परिषद् विचार कर निर्णय ले।

फाईल कार्य विवरण के साथ पटल पर प्रस्तुत है।

(राजेन्द्र राजाराम पवार)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्, महु